रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78

REGISTERED NO. D-(D)—78

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
17 JUL 1978
GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1978 (ज्येष्ठ 27, 1900)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1978 (JYAISTHA 27, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	577
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	769
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	579
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1247
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1475
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	133
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3225
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	457
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1223
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	103

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 577

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 789

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 579

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories .. 1247

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1475

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 193

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 3225

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 457

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1223

PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies 103

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी, 1977

सं० 30-प्रेज/78—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा और साहस के लिये सेना मैडल आर्मी/मैडल प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर करतार सिंह बैंद (आई० सी० 18831),
आर्मी आर्डनेन्स कोर

रक्षा सुरक्षा कोर का एक सिपाही 23 जनवरी, 1975 की रात को एम्यूनीशन डिपो, भरतपुर में गार्ड ड्यूटी देते समय अपनी राइफ तथा गोलाबारूद सहित भाग गया। डिपो के प्रशासनिक अधिकारी, मेजर करतार सिंह बैंद ने तुरन्त उसका पीछा करने के लिये चारों ओर खोज दल भेजे और खुद कुछ गार्डों के साथ रेल स्टेशन की ओर गए। इन्होंने अपने जवानों को रेल स्टेशन घेरने का आदेश दिया और स्वयं उसकी खोज में रेल प्लेट फार्म पर गये। उन्होंने प्लेटफार्म पर भगौड़े को बन्दूक सहित देख लिया। गम्भीर खतरे की परवाह किये बिना वह अकेले उस पर टूट पड़े और उस पर काबू करने के बाद उससे उसकी भरी हुई बन्दूक छीन ली।

इस कार्रवाई में मेजर करतार सिंह बैंद ने साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. मेजर लेख राज (आई० सी० 13310)
पंजाब

सितम्बर, 1974 से मेजर लेख राज इन्फैंटरी बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे हैं। मेजर लेख राज की सूझबूझपूर्ण योजना और दृढ़ संकल्प के कारण चार विरोधियों को गिरफ्तार किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत विरोधियों का गांव के साथ सम्पर्क टूट गया जिसे वे अपने आप को बनाये रखने और सुरक्षित गतिविधि के लिये प्रयोग में लाते थे।

इस प्रकार मेजर लेख राज ने साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपराणयता का परिचय दिया।

3. मेजर ठरेन्द्र सुरजीत सिंह (आई० सी० 14391),
गोरखा राइफल

जनवरी, 1976 में गुलमर्ग में भारी हिमपात हुआ और बर्फीली आंधी के कारण 15 लोगों की जाने गईं। जम्मू और कश्मीर में खिलनमर्ग के नजदीक इन्फेंटरी बटालियन की एक कम्पनी और सीमा सुरक्षा दल की एक प्लाटून अफरवल में विभिन्न चौकियों पर घिर गई। बचाव का रास्ता खतरनाक बर्फीली ढलान से था जिस पर बराबर बर्फीली आंधी चल रही थी। बर्फ में घिरे उन लोगों का जीवन खतरे में था क्योंकि कि उनके पास केवल 48 घंटे के लिये राशन रह गया था।

मेजर सुरेन्द्र सुरजीत सिंह को बर्फ में घिरे हुए कर्मचारियों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी इन्होंने समय बचाने के लिये निकटतम रास्ते को चुना जिस पर सीधी चढ़ाई थी और खतरनाक क्षेत्र से होकर गुजरना था। बचाव दल ने 20 जनवरी को 3 बजे प्रातः अभियान शुरु किया जब कि मौसम और भी खराब हो चुका था अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिन्ता किये बिना इन्होंने खतरनाक रास्ते से अप्रशिक्षित फौज को बचाने के लिये स्वयं ही कई रस्सियां बांधी। सीमा सुरक्षा दल की प्लाटून के साथ उस दिन और इन्फैन्टरी बटालियन की कम्पनी के साथ 21 जनवरी, 1976 को प्रातः संपर्क बनाया जा सका। इस दल ने 21 जनवरी, 1976 को बर्फ में घिरे हुए सभी कर्मचारियों को शाम के 4 बजे तक सफलता-पूर्वक बचा लिया।

इस कार्रवाई में मेजर सुरेन्द्र सुरजीत सिंह ने साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

5. मेजर सुरेश मेनन (आई० सी० 16364),
जाट राइफल्स

जनवरी से अक्तूबर, 1975 के दौरान जब मेजर सुरेश मेनन मिजोरम में इन्फेंटरी बटालियन की ए कम्पनी की कमा सभाले हुए थे तो इन्होंने कई विरोधियों को पकड़वाया। 13 जनवरी, 1975 को ऐजवाल में विरोधियों ने जब तीन वरिष्ठ पुलिस अफसरों की निर्मम हत्या की उस समय विरोधी काफी सरगर्मी पर थे। मेजर सुरेश मेनन के नेतृत्व में एक गश्ती दल द्वारा हत्यारों के एक कुख्यात साथी सार्जेंट के पकड़े जाने पर इस अपराध का रहस्य खुल गया जिससे बाद में अन्य हत्यारों को पकड़ने में मदद मिली।

इस प्रकार मेजर सुरेश मेनन ने नेतृत्व, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपराणयता का परिचय दिया।

5. कैप्टन अमृत लाल सन्दल (एस० एस० 23884),
इंजीनियर्स।

जुलाई, 1975 के अन्तिम सप्ताह में बिहार में गंडक नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया। इससे अगस्त, 1975 को मुजफरपुर जिले के कई स्थानों पर सुरक्षा के लिये बने बांध में कई दरारें पड़ गईं। बोच्चा, मुसेरी, और गईघाट खण्डों को जलमग्न करते हुए बाढ़ का पानी काफी बड़े क्षेत्र में फैल गया। कैप्टैन अमृत लाल सन्दल ने तत्काल अपने अधीन सभी पांच नावों को काम में लगा दिया और उपर्युक्त तीनों खण्डों में बचाव कार्यों का स्वयं नेतृत्व किया और काफी लोगों को बचाने में सफल हुए।

बचाव कार्य के दौरान इन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला बांस फूंस की एक झोंपड़ी के पास खड़ी है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है। कैप्टेन अमृत लाल सन्दल इस वृद्ध महिला को बचाने के लिये अपनी नाव को बहती हुई टूटी झोंपड़ी की ओर ले गये। इनके कुशल नौवहन के कारण ये भारी बाढ़ में झोंपड़ी के चारों ओर रस्सी डालकर उसे बाहर खींच लाये और इस प्रकार महिला की रक्षा की। भयंकर प्राकृतिक प्रकोप में यह इनका साहसपूर्ण कार्य था जिसके लिये प्रैस तथा सिविल प्रशासन दोनों ने ही इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।

इस कार्रवाई में कैप्टन अमृत लाल सन्दल ने साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि को कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

6. कैप्टन रतन प्रकाश जायसवाल (एस० एस० 26698), इंजीनियर्स।

कैप्टन रतन प्रकाश जायसवाल समस्तीपुर में बाढ़ सहायता टुकड़ी के कमांडर थे। 1 अगस्त, 1975 को बाढ़ के कारण बूढ़ी गंडक ने समस्तीपुर में सुरक्षा बांध पर कई जगहों पर दरारें डाल दीं। जिससे कल्याणपुर खण्ड के कई गांव जलमग्न हो गये। स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लगातार छह दिनों तक बचाव कार्य का स्वयं निरीक्षण किया। 7 अगस्त, 1975 को मसीनाफार्म के नजदीक बांध टूटने के कारण वारि सागर खण्ड के हसनगर क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ये पन्द्रह दिन तक बचाव तथा राहत कार्य करते रहे और इस प्रकार सैकड़ों लोगों की जीवन रक्षा की। फिर 23 अगस्त, 1975 को मोहिद्दीन नगर, पतौरी और दालसिंहसराय खण्डों में बाढ़ आने से भयंकर तबाही हुई। कैप्टैन जायसवा तत्काल अपनी टुकड़ी को ले गये और असहाय ग्रामीणों की सहायता की तथा अन्य राहत कार्य किये और हजारों लोगों की जाने बचाई।

इन कार्यवाहियों में कैप्टेन रतन प्रकाश जायसवाल ने साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्तव्यपराणयता का परिचय दिया।

7. कैप्टेन कुलवन्त सिंह ग्रेवाल (एस० एस० 24104), मराठा लाइट इन्फैन्टरी

इन्फैन्टरी बटालियन के कैप्टेन कुलवन्त सिंह ग्रेवाल को मिजोरम में तैनात किया गया था। बड़ी योग्यता से इन्होंने गुप्त रिपोर्ट इकट्ठी की और विरोधियों के विरुद्ध अनेक कारवाइयां की और स्वय उनका नेतृत्व किया। इसके फलस्वरूप भूमिगत विरोधी गिरफ्तार किये गये और काफी मात्रा मे हथियार और गोलाबारूद बरामद हुआ। अपने जीवन को जोखिम में डाल कर इन्होने स्वयं पांच सशस्त्र भूमिगत विरोधियों को पकड़ा और उनसे घने जंगलों में एक 2 इंची मोर्टर तथा एक लाइट मशीनगन सहित पांच हथियार तथा भारी मात्रा मे गोला बारूद व तेज विस्फोटक बम बरामद किये।

इस प्रकार कैप्टैन कुलवन्त सिंह ग्रेवाल ने अदम्य साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

8. जे० सी० 61352 सूबेदार सखुमा लुशाई, असम राइफल्स।

असम राइफल्स की एक बटालियन में काम कर रहे सूबेदार सखुमा लुसाई ने विभिन्न अवसरों पर प्रशंसनीय कार्य किया जिससे इनकी यूनिट की ख्याति बढ़ी है। 13 जनवरी, 1975 को ऐजवाल में तीन ऊंचे पुलिस कर्मचारियों को गोली से मार दिया गया था। सभी निकटस्थ गांवो में हत्यारों को ढूंढने के लिये तत्काल कार्रवाई की गई, सूबेदार सखुमा लुशाई द्वारा कुशलता तथा दृढ़ता से कार्य करने के कारण इस जुर्म के लिये जिम्मेवार विरोधियों को पकड़ लिया गया। इन विरोधियों से काफी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद भी बरामद हुआ।

इस प्रकार सूबेदार सखुमा लुशाई ने साहस, दृढ़ता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

9. 9920037 कम्पनी हवलदार मेजर बैरिंग नुरबू, लद्दाख स्काउट्स

जनवरी, 1976 में, जम्मू तथा कश्मीर खेलनमार्ग में भारी हिमपात हुआ तथा बर्फीली आंधियां चलीं। वहां उस समय तैनात बाहरी चौकियों पर काम कर रही इन्फैंटरी बटालियन की एक कम्पनी तथा सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन घिर गई और उनको राशन की कमी हो गई। इन लोगो को बचाने के लिये एक बचाव दल भेजा गया, जिसमें कम्पनी हवलदार मेजर छेरिंग नूरबू एक सदस्य थे। कम्पनी हवलदार मेजर छेरिंग नूरबू रास्ता बनाने और रस्सी से स्वयं पहले जाने के लिये आगे आये। यह एक जोखिमपूर्ण क्षेत्र था और जो रास्ता चुना गया वह अत्यन्त दुर्गम था यह कम्पनी हवलदार मेजर छेरंग नूरबू का उत्साह, धैर्य व दृढ़ संकल्प और पर्वतारोहण का अनुभव ही था जिस से बर्फ और चट्टानों से रास्ते का पता लगाया जा सका। रास्ते में रस्सी से एक सदस्य का पैर फिसल गया और वह ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गया। कम्पनी हवलदार मेजर छेरिंग नूरबू ने बचाव के लिये रखी गई रस्सी से उसे नीचे गिरने से रोका, यस्थर लंगर डाला तथा नीचे जाकर उसके जीवन की रक्षा की।

इस कार्रवाई में कम्पनी हवलदार मेजर छेरिंग नूरबू ने अदम्य साहस दृढ़ संकल्प और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

10 3349169 हवलदार सुचा सिंह, सिख

जनवरी, 1976 में जम्मू तथा कश्मीर मे खेलनमार्ग के अखराबाल क्षेत्र में भारी हिमपात हुआ तथा बर्फीली आंधियां चली। वहा उस मसय तैनात बाहरी चौकियों पर काम कर रहे इन्फेन्टरी बटालियन की एक कम्पनी तथा सीमा सुरक्षा दल की एक बटालियन घिर गई। उनको रस्सियों की मदद से बचा लाने के लिये भेज गये बचाव दल के एक सदस्य हवलदार सुचा सिंह थे। 20 जनवरी, को करीब 2 बजे सीमा दल के तीन सदस्य बर्फीली आंधी की चपेट में आ गये। हवलदार सुचा सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस खतरे को समझा और अपने साथियों को इससे आगाह किया। इसके साथ साथ इन्होने बाहर निकली हुई चट्टान पर अपनी रस्सी को बांध लिया था। हवलदार सुचा सिंह द्वारा समय पर की गई कार्रवाई ने तीनों सदस्यों को हिमसंस्खलन के साथ फिसल जाने से और सम्भवतः उसके नीचे दब जाने से बचाया। उन तीनों व्यक्तियों को गिरने से बचाने के बाद हवलदार सुचा सिंह ने अपनी बचाव रस्सी को एक चट्टान से बांधा और संकट में फंसे अपने साथियों की मदद के लिये स्वय नीचे गये तथा उनकी रक्षा की।

इस कार्रवाई में हलवदार सुचा सिंह ने साहस, तत्परता और उच्च कोटि की कर्तव्यपराणयता का परिचय दिया।

11. 3955835 हवलदार मोहिन्दर सिंह, डोगरा

हवलदार मोहिन्दर सिंह उस दल के सदस्यों में से थे जिसे जम्मू और कश्मीर में खेलनमार्ग में भारी हिमपात और बर्फीली आंधी के कारण घिरी इन्फैंट्री बटालियन को एक कम्पनी और सीमा सुरक्षा दल की एक प्लाटून को बचाने के लिये तैनात किया गया था। दुर्गम चढ़ाई के बाद दल ने 20 जनवरी, 1976 की शाम को 4 बजे सीमा सुरक्षा दल की प्लाटून से सम्पर्क स्थापित कर लिया। हवलदार मोहिन्दर सिंह ने सीमा सुरक्षा दल के अप्रशिक्षित जवानों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम अपने हाथ में लिया। चूंकि सीमा सुरक्षा दल का कोई भी जवान प्रशिक्षित नहीं था इसलिये हवलदार मोहिन्दर सिंह काफी ऊंचाई पर स्थित उस दुर्गम स्थान पर स्वय ही चले गये जहां पर ऊपर से बर्फ की नुकीली सिल्लियां थीं। वे एक एक करके सभी जवानों को रस्सी से बांध कर सुरक्षित स्थान पर ले गये। गलत कदम पड़ने के कारण एक जवान नीचे खिसकने लगा लेकिन हवलदार मोहिन्दर सिंह ने अपनी सूझ-बूझ से तत्काल बचाव कार्रवाई करके उसे पकड़ लिया। इसके बाद वे अपनी जान की परवाह किये बिना लंगर डालकर सीमा सुरक्षा बल 8 उस जवान के पास गये जिसकी जान खतरे में पड़ी थी और उसको खींच कर सुरक्षित स्थान पर ले आये। सीमा सुरक्षा दल के 36 कर्मचारियों को बचाने के इस कार्य में पूरे 3 घण्टे लगे। दूसरे दिन भी हवलदार मोहिन्दर सिंह ने इन्फैन्ट्री बटालियन की एक कम्पनी को बचाने में उसी प्रकार का साहसिक कार्य किया।

इस प्रकार हवलदार मोहिन्दर सिंह ने अदम्य साहस, दृढ़निश्चय और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

12. 4438786 लांस हवलदार गुरनाम सिंह सिख लाईट इन्फैन्ट्री

23/24 सितम्बर, 1975 को सांय 22.20 बजे भारतीय वायु सेना का एक जैट विमान सिख लाईट इन्फैन्ट्री की एक बटालियन के यांत्रिक परिवहन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे शेड का एक भाग टूट

गया तथा यांत्रिक परिवहन पार्क में खड़ी गाड़ियों, रेडारों तथा अन्य उपकरणों में आग लग गई। बटालियन के लांस हवलदार गुरनाम सिंह उस समय यांत्रिक परिवहन पार्क के गार्ड कमांडर थे वे तत्काल समझ गये कि आग उस क्षेत्र में बड़ी तेजी से फैल रही है जहां पर लगभग 50 गाड़ियां खड़ी थी और इससे गाड़ियों, रेडारों और निकटवर्ती यूनिट के विभिन्न उपकरणों, एवं वायु सुरक्षा रेजिमेंट तथा उसके समीप के पैट्रोल गोदाम को भारी क्षति पहुंच सकती है। वे तत्काल उपलब्ध जवानों के साथ इन गाड़ियों को आग से बचाने के लिये चल पड़े। सभी गाड़ियों को आग की लपटों से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले आये। यद्यपि वे दुर्घटनाग्रस्त और जलते हुए वायुयान से उड़ती हुई चिनगारियों से घायल हो गये थे फिर भी अपनी जान की परवाह किये बिना वे अपने जवानों की सहायता से गाड़ियों को आग से बचाने में लगातार जुटे रहे। अन्ततः वे सभी गाड़ियों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और सरकारी सम्पत्ति तथा उस क्षेत्र में स्थित पैट्रोल गोदाम को बचाने में सफल हो गए।

इस प्रकार लांस हवलदार गुरनाम सिंह ने नेतृत्व, साहस, पहलशक्ति और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

13. 4151096 नायक केशव दत्त,
कुमायूं

3 अक्तूबर, 1974 को नायक केशव दत्त इन्फेंट्री बटालियम के एक सैक्शन की कमान कर रहे थे। प्लाटून को भूमिगत विरोधियों की टोली को रोक लेने का कार्य सौंपा गया था। 12 अक्तूबर, 1974 को प्रातः लगभग 10.15 बजे जब गश्ती दल अपना कार्य पूरा करके अपनी चौकी पर वापस आ रहा था तो नजदीक ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी। नायक केशव दत्त अपने सैक्शन को तत्काल घटनास्थल की ओर ले गये जहां पर लगभग 80/100 विरोधियों के एक गिरोह की गांव के गार्ड कमांडर के नेतृत्व में दूसरे गश्ती दल के साथ मुठभेड़ हो रही थी। इन्होंने तत्काल उस क्षेत्र की विस्तृत छानबीन शुरू कर दी। उस तलाशी के फल-स्वरूप इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण कागजात, उपस्कर, वस्त्र तथा राशन अपने कब्जे में ले लिया। नायक केशव दत्त और इनके जवान लगातार अगले तीन दिन और तीन रात तक बहुत ही विकट क्षेत्र में विरोधियों का पीछा करते रहे।

21 अक्तूबर, 1974 को नायक केशव दत्त जब पुनः गश्ती ड्यूटी पर थे तो इन्होंने विरोधियों के एक गिरोह को देख लिया और वर्षा तथा घने कोहरे के बीच दुर्गम क्षेत्र में उनका पीछा किया। अनेक स्थानों पर इन्हें और इनके जवानों को चट्टानों पर रेंग कर चलना पड़ा। चट्टान की ढलान पार करने पर घने जंगल के बीच में आराम कर रहे विरोधियों से अचानक इनका सामना हो गया। चूंकि विरोधियों को भी इसका पता चल गया इसलिये नायक केशव दत्त के पास अपने साथियों को संगठित करने का समय भी नहीं था। गम्भीर खतरे की परवाह किये बिना ये विरोधियों के गिरोह पर अचानक टूट पड़े। विरोधी इस अचानक हमले से घबरा गये और हड़बड़ाहट में इधर उधर भाग खड़े हुए। बाद में पकड़े गये विरोधियों से पूछताछ करने पर इस बात की पुष्टि हो गई कि यह अन्तिम अवसर था जबकि गिरोह संगठित रूप में जा रहा था। इस मुठभेड़ के फलस्वरूप और साथ ही बुरी तरह क्षत-विक्षत होने के कारण उक्त गिरोह छोटे छोटे दलों में बंट गया और उनकी योजना काफी हद तक विफल हो गई।

इस प्रकार नायक केशव दत्त ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

14. 1427444 नायक ज्ञान चन्द
इंजीनियर्स

जुलाई, 1975 में हुई भारी वर्षा के कारण बिहार की नदियों में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के पानी से सिंचाई के बांधों में दरारें पड़ गईं और सम्पूर्ण मुजफ्फरपुर जिला अभूतपूर्व बाढ़ की चपेट में आ गया था। बाढ़ से निपटने के लिये राज्य सरकार ने सेना की सहायता मांगी, सेना की एक इंजीनियर रेजिमेंट को यह आदेश दिया गया कि एक बाढ़ राहत अभियान दल (टास्क फोर्स) को वायुयान द्वारा भेजा जाय। नायक ज्ञान चन्द उस दल के गैर कमीशन प्रभारी अफसर थे जिसे मुजफ्फरपुर से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व की ओर डोली में राहत कार्यों पर लगाया गया था। 7 अगस्त, 1975 को दोपहर बाद जब यह एक दूसरे गैर कमीशन अफसर के साथ रसद पहुंचाने के लिये अपनी नौका को तैयार कर रहे थे, तो इन्हें निकटवर्ती रेलवे लाइन पर खड़े कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक देशी नौका जो ग्यारह व्यक्तियों को ले जा रही थी लगभग 300 गज की दूरी पर उलट गई थी और लोग सहायता के लिये चिल्ला रहे थे। नायक ज्ञान चन्द और उनके साथी अपने जीवन को संकट में डाल कर पानी के तेज प्रवाह का मुकाबला करते हुए उल्टी हुई नाव के पास पहुंच गये। इन्होंने और उनके साथियों ने नौ व्यक्तियों को बचा लिया।

इस प्रकार इस कारवाई में नायक ज्ञान चन्द ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

15. 13654064 नायक गोरधन, गार्ड्स

नायक गोरधन उस गश्ती दल के सदस्य थे जिसे लद्दाख में एक दर्रे के पार वहां की बर्फ की स्थिति तथा वहां पहुंचने के मार्ग का पता लगाने का काम सौंपा गया था। यह गश्ती दल लगातार दस घंटे तक बर्फ पर चलता रहा और काफी प्रयत्न करने पर वह उस दर्रे को पार कर सका। रात्रि के 8.30 बजे के करीब वह गश्ती दल अचानक एक भारी बर्फीले तूफान में फंस गया और उसके सभी सदस्य अपने उपकरणों सहित आठ से दस फुट तक गहरी बर्फ में धंस गये। नायक गोरधन एक नाले में जा गिरा। इसमें इन्हें काफी चोटें आईं और आघात पहुंचा लेकिन फिर भी स्थिति का जायजा लिया और गश्ती दल के अन्य सदस्यों को जोर-जोर से पुकारा। परन्तु इन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उस घोर अंधेरे में भारी बर्फ को पार करते हुए और अपनी जान की चिन्ता किए बिना इन्होंने सही जगह पहुंच कर बर्फ में फंसे गश्ती दल के मुखिया और जूनियर कमीशन अफसर को बर्फ से बाहर निकाला। इन्होंने फिर आस-पास के क्षेत्र में छानबीन की और आधे घंटे के अंदर गश्ती दल के एक सदस्य को छोड़कर शेष सभी सदस्यों को उनके उपकरणों सहित बर्फ से बाहर निकाला। अभी शेष सदस्य इस आघात से सम्भल भी न पाए थे कि नायक गोरधन ने प्रत्येक को अपने खोए हुए साथी को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया, उस भारी बर्फ में कई घंटों तक खोज जारी रही परंतु सफलता न मिली। नायक गोरधन 24 घंटे तक बिना खाए पिए चलते रहे और एक अन्य रैंक के साथ 7 अप्रैल, 1976 की दोपहर को जिंगल चौकी पर पहुंचे और वहां इन्होंने चौकी कमांडर को दुर्घटना के बारे में सूचित किया। गश्ती दल के अन्य सदस्यों को अस्पताल भेजे जाने के बाद भी नायक गोरधन जिंगल चौकी में ठहरे रहे और इन्होंने शेष सदस्यों की खोज की तथा बचाव कार्य में स्वेच्छा से और भी सहयोग दिया। पूर्णतः प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शून्य तापमान में इस गैर कमीशन अफसर द्वारा समय पर की गई कार्रवाई से गश्ती दल के एक सदस्य को छोड़कर जो दुर्भाग्यवश काफी तलाश करने पर भी न मिला, शेष सभी सदस्यों की जीवन रक्षा हो सकी।

इस कार्रवाई में नायक गोरधन ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

16. 1372085 लांस नायक बाबू राम, जाक राईफल्स

लांस नायक बाबू राम एक अग्रिम चौकी पर मिडियम मशीन गन की एक टुकड़ी के कमांडर थे। 7 मई, 1976 को नियंत्रण रेखा को पार से आती हुई अकारण गोला बारी के दौरान लांस नायक बाबू राम ने अपने स्वचालित हथियार का प्रयोग करके दुश्मन की लाइट मशीनगन को शांत कर दिया। 8 मई, 1976 को जब फिर से उनके मिडियम मशीन गन बंकर पर भारी गोला-बारी की गई तो इन्होंने भी अपनी गन से दुश्मन की गोला-बारी का पूरी तरह से जवाब दिया। इस गोला-बारी के दौरान यह गोलियों की बौछाड़ में आ गए। घायल हो जाने और अत्यधिक खून निकल जाने के बावजूद भी ये अपनी मशीन गन से लगातार गोलियां बरसाते रहे और तब तक वहां से नहीं हटे जब तक कि बेहोश होकर न गिर पड़े।

इस कार्रवाई से, लांस नायक बाबू राम ने अदम्य साहस दृढ़ता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

17. 1445219 लांस नायक गुरदेव सिंह इंजीनियर्स

जुलाई 1975 में भारी वर्षा के कारण बिहार की नदियों में बाढ़ आ गई थी । बाढ़ के पानी के कारण सिंचाई बांधों में दरार पड़ गई जिससे मुजफ्फरपुर जिले के काफी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भर गया था । बाढ़ राहत कार्य के लिये राज्य सरकार ने सेना से सहायता मांगी । 2 अगस्त 1975 को सेना इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट को आदेश दिया गया कि बाढ़ राहत कार्य के लिए एक बाढ़ राहत अभियान दल को विमान द्वारा भेजा जाए । लांस नायक गुरदेव सिंह उस दल के सदस्य थे जिसे मुजफ्फरपुर के पूर्व में करीब 25 किलोमीटर दूर ढोली में तैनात किया गया था । 7 अगस्त 1975 को दोपहर बाद जब ये एक ओर नान कमीशन अफसर के साथ रसद ले जाने के लिए अपनी नौका तैयार कर रहे थे, उसी समय इन्होंने निकट की रेलवे लाईन पर खड़े हुए कुछ व्यक्तियों के चिल्लाने की आवाज सुनी । एक नाव डूब गई थी जिसमें ग्यारह व्यक्ति सवार थे, अपनी जान की परवाह किए बिना लांस नायक गुरदेव सिंह और उनके साथ के जॉन कमीशन अफसर तत्काल नाव लेकर उस ओर रवाना हो गए और तेज धारा में अपनी नाव चलाते रहे । दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर ये बाढ़ के पानी में कूद पड़े और अपनी अद्भुत सामर्थ्य और कुशल तैराक होने के कारण इन्होंने डूबते हुए 6 व्यक्तियों को बचा लिया । इसके अतिरिक्त उनके साथी ने भी 3 व्यक्तियों को डूबने से बचाया ।

इस प्रकार लांस नायक गुरदेव सिंह ने अदम्य साहस, दृढ़निश्चय और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

18. 13726190 लांस नायक रूप लाल जाक राइफल्स

जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जे० एण्ड के० राइफल्स की एक बटालियन तैनात की गई थी । 30 अप्रैल 1976 के बाद उक्त रेखा के दूसरी ओर से हमारे ठिकानों पर हल्की मशीनगनों और मीडियम मशीनगनों से गोला बारी शुरु हो गई । काफी दूरी से गोलियां आने के कारण गोली चलाने के स्थान का पता लगाना मुश्किल था । इसलिए चार व्यक्तियों के एक दल को गोला बारी करने के स्थान का पता लगाने और गोलाबारी का जवाब देने का काम सौंपा गया था । लांस नायक रूप लाल इस दल के एक सदस्य थे और इनके पास एक हल्की मशीनगन थी । उक्त दल वहां उपलब्ध आड़ में आगे बढ़ा और उसने सुविधाजनक स्थानों पर मोर्चा ले लिया । नियंत्रण रेखा के पार से गोली चलाने वाले व्यक्तियों का लांस नायक रूप लाल ने बखूबी सामना किया और अन्ततः उन्हें उन अग्रिम मंकरों से वापस जाने को मजबूर किया जिसमें वे छिपे हुए थे ।

इस प्रकार लांस नायक रूप लाल ने अनुकरणीय साहस, दृढ़निश्चय और उच्च कोटि कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

19. 18435 राइफलमैन खड़क बहादुर गुरंग, असम राइफल्स

16 अप्रैल, 1975 को असम राइफल के राइफलमैन खड़क बहादुर गुरंग ने काफी होशियारी से एक भूमिगत विरोधी को पकड़ा । 18 अप्रैल 1975 को राइफलमैन गुरंग ने एक और कुख्यात विरोधी को पकड़ लिया और महत्वपूर्ण पूछताछ करके उनसे तीन हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद हासिल किया ।

इस प्रकार राइफलमैन खड़क बहादुर गुरंग ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

20. 18406 राइफलमैन तेज बहादुर राणा, असम राइफल

19 अप्रैल, 1975 को असम राइफल के राइफलमैन तेज बहादुर राणा ने विरोधियों के एक अड्डे पर छापा मारकर गश्ती दल का नेतृत्व किया । इन्होंने भागते हुए एक विरोधी को पकड़ा जिससे पूछताछ करने पर सैनिक महत्व की जानकारी प्राप्त की । 25 मई, 1975 को इन्होंने एक अन्य कुख्यात विरोधी को पकड़ा और हथियार, मैगजीन तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया इसके अतिरिक्त इन्होंने 26 मई, 1975 को उस क्षेत्र की तलाशी ली जिसमें इन्हें हथियार, गोला बारूद, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और भारी मात्रा में मुद्रा प्राप्त हुई ।

इस प्रकार राइफलमैन तेज बहादुर राणा ने प्रशंसनीय सूझबूझ, अदम्य साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है ।

21. 5840308 राइफलमैन नीमा दोरजी शेरपा गोरखा

हाई एल्टीच्यूड टारफेयर स्कूल ने अधिक ऊंचाई वाले स्थानों का सर्वेक्षण कार्य किया, जिसमें माऊंट सिक्फल मून पर चढ़ने का काम भी शामिल था । गोरखा राईफल्स की एक बटालियन के राइफलमैन नीमा दोरजी शेरपा भी सर्वेक्षण दल के सदस्य थे । 21 सितम्बर, 1975 को जब ये रास्ता साफ कराने में लगे हुए थे, उसी समय बर्फीली आंधी में फंस गये । जब तक उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ तब तक बड़ी निर्भीकता से अपनी रस्सी को पकड़े रहे । वे बड़े धैर्य तथा दृढ़ता के साथ मिच्छावित चट्टानी क्षेत्र से होकर आगे बढ़ते रहे । 5 अक्तूबर, 1977 को कंपनी हवलदार मेजर चेरिंग तुरबू के साथ माऊंट सिक्फल मून पर पहुंचकर इन्होंने सर्वोच्च अनछुए शिखरों में से एक पर राष्ट्रीय ध्वज तथा थल सेना और हाई एल्टीच्यूड वारफेयर स्कूल का ध्वज फहराया ।

इस प्रकार राइफलमैन नीमा दोरजी शेरपा ने अदम्य साहस, पहल-शक्ति, दृढ़ता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

22. 14209465 सिगनलमैन दिलीप रामचन्द्र सोनार सिगनल्स

31 अगस्त 1976 को लगभग 14.40 बजे जयपुर स्थित सिगनल रेजिमेंट के क्षेत्र में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा गया । लांस नायक जगबीर सिंह उसे रेजिमेंटल मुख्यालय ले गये । सिगनलमैन दिलीप रामचन्द्र सोनार भी उस समय वहां पहुंचे, जबकि उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी और उसने शौचालय जाने की इच्छा प्रकट की । लांस नायक जगबीर सिंह और सिगनलमैन सोनार काफी सतर्कता और चौकसी के साथ खड़े रहे । उन्होंने शौचालय से धातु की बनी किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी । उसी समय एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया जिसने शौचालय से 9 मिलीमीटर की 9 गोलियां बरामद की । जैसे ही उसको यह मालूम हुआ कि गोलियां बरामद कर ली गई हैं उसने अपनी पैंट में छिपाकर रखी गयी 9 मिलीमीटर की पिस्तौल निकाल कर वहां से भागने की कोशिश की । सिगनलमैन सोनार उसके पीछे चौकन्ने खड़े थे और उन्होंने उसे तुरन्त ही कमर से पकड़ लिया और कुछ दूसरे आदमियों की सहायता से उसकी पिस्तौल छीन ली । पिस्तौल भरी हुई थी और उसकी मैगजीन में 7 गोलियां थी । बाद में पुलिस ने यह बताया कि वह एक कुख्यात डाकू है और कई हत्याओं और डकैतियों के सिलसिले में उसकी तलाश की जा रही है ।

इस प्रकार सिगनलमैन दिलीप रामचन्द्र सोनार ने अदम्य साहस, सूझबूझ और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 1978

आदेश

विषय :—महानदी के 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति

सं० 13011/1/76-प्रोडक्शन—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपनियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा आयल इंडिया लिमिटेड दूलिया जान (जिसको बाद में आयल इंडिया लिमि० कहा जायेगा) महानदी क्षेत्र (अपठनीय) में 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-4-1978 से चार वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ङ) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयल इंडिया लिमि० पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेंगी।

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सेट पर 42/- रु० प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम, मंत्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयल इंडिया लिमि० लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेसेंट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य बताने वाला एक पूर्णतया उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची 'ख' में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 की आवश्यकता के अनुसार आयल इंडिया लिमि० 96000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयल इंडिया लिमि० प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1 लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये 4 रुपये

2 लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिये 20 रुपये

3 लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिये 100 रुपये

4 लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिये 200 रुपये

5 लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिये 300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उप-नियम (3) की आवश्यकतानुसार आयल इंडिया लिमिटेड की अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को 2 माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयल इंडिया लिमि० केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयल इंडिया लिमिटेड समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाये रहेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियन्त्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे:

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयल इंडिया लिमिटेड केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तवेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिये व्यवहार्य होगा।

अनुसूची 'क'

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत महानदी अपतटीय क्षेत्र आता है जो अक्षांश 19.03.00 से 20.041.30 तक और देशान्तर 85.13.00 से 87.22.00° तक और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए० बी० सी० और डी० को मिलाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर है।

जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशांतरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

क्षेत्रीय ब्यौरा (बीयरिंग) अक्षांश				देशांतर			दूरी किलोमीटरों में
	डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०	
प्वाइंट ए स्थित है	19	21	00	85	03	30	
प्वाइंट बी स्थित है	20	41	30	87	02	30	
				प्वाइंट क से ख तक			254.91
प्वाइंट सी स्थित है	20	05	00	87	22	00	
				प्वाइंट ख से ग तक			75.66
प्वाइंट डी स्थित है	19	03	00	85	13	00	
				प्वाइंट ग से घ तक			252.37
प्वाइंट ए स्थित है	19	21	00	85	03	30	
				प्वाइंट घ से क तक			37.57

अपतटीय प्वाइंट सी० और डी० से पूरी प्वाइंट की लगभग दूरी निम्नलिखित है :—

(क) प्वाइंट सी — 163 किलोमीटर

(ख) प्वाइंट डी — 106 किलोमीटर

अनुसूची 'ख'

अशोधित तेल केसिंग कंडेसेंट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण

महानदी (अपतटीय) क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो/लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) कैसिंग हेड कंडेसेन्ट

प्राप्त किये गये कुल किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो/लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त धन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये धन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये धन मीटरों की संख्या	कालम 2 और टिप्पणी 3 को घटाकर प्राप्त धन मीटरों की संख्या
1	2	3	4

एतद् द्वारा मैं, श्री.....सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गयी सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर .....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम में—

दिनांक 24 मई 1978

आदेश

विषय :—दीप कान्टीनेंटल शेल्फ के 950.83 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति

सं० 12012/15/76-प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून, (जिसको बाद में आयोग कहा जायेगा)। 950.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-6-1976 से दो वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए, पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेंगी।

(i) समस्त प्रशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेन्ट पर 42/- रु० प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

(iii) स्वत्व, शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम, मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त प्रशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेन्ट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल—मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची 'ख' में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000 रुपये की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणक प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये 4 रुपये।
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिये 20 रुपये।
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिये 100 रुपये।
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिये 200 रुपये ।
5. लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिये 300 रुपये।

(छ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को 2 माह के नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल गैस तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा। तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यञ्जन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

अनुसूची 'क'

इस पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत दीप कान्टीनेंटल शेल्फ (अपतटीय क्षेत्र आता है जो अक्षांश 18.26' 57.6" दक्षिण से 18.49', 22.8" उत्तर तथा देशान्तर 70.5', 37.8" पश्चिम से 71.16' 46.8" पूर्व देशान्तर के बीच स्थित है और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए, बी, सी, और डी को मिलाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 950.83 वर्ग किलो मीटर है ।

जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तर पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :

बेयरिंग	दूरी किलो मीटर में
प्वाइंट ए	अक्षांश 18.43' 54.6" प्वाइंट डी से ए 30 किलो मीटर है। देशान्तर 70.51' 37.8"
प्वाइंट बी	अक्षांश 18.26' 57.6" प्वाइंट ए से बी तक 40.63 किलो मीटर देशान्तर 71.06" 13.8"
प्वाइंट सी	अक्षांश 18.30' 44.59" प्वाइंट बी से सी 19.81 किलो देशान्तर 1.16' 46.8" मीटर है ।
प्वाइंट डी	अक्षांश 18.49' 22.8" प्वाइंट सी से डी तक 38.13 किलो देशान्तर 71.7' 47.4" मीटर है ।

अनुसूची ख

अशोधित तेल केसिंग हैड कंडेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक अवतरण डीप कान्टीनेंटल सेल्फ के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल 950.83 वर्ग किलोमीटर
माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो/लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेन्ट

प्राप्त किये गये कुल किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलोलिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री .... सत्य निष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गयी सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्त करण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर ....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम से ।

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1978

सं० एफ० 4-1/77-एफ-2—अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लि० की संगम की नियमावली की धारा 67(3) के अनुसरण मे राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय की उप सचिव श्रीमती उमा पिल्ले को श्री आर० एल० परदीप के स्थान पर अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, वन तथा बागान विकास निगम के निदेशक मण्डल के अंशकालिक सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

विरेन्द्र कोहली, अवर सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1978

संकल्प

सं० 23021/67/77-सी० डी० टी०—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के संकल्प संख्या 54012/3/76-सी० डी० टी० दिनांक 6-4-1976 के द्वारा कोयला विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य रेलवे रेलवे सहित विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए अपेक्षित किस्म के कोयले के उत्पादन और सप्लाई से सम्बंध समस्याओं की विस्तार से जांच करना था ।

2. समिति ने 31 अगस्त, 1977 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश अनुबंध में दिया गया है ।

3. सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों की सावधानी से जांच की है और उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बद्ध लोगों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनुबंध

किस्म (क्वालिटी) समिति की रिपोर्ट निष्कर्ष और सिफारिशें

संबद्ध समस्याओं के अन्तिम विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि कोयले की किस्म को लगातार ऊंचा रखना तभी संभव है जबकि कोयले का रख रखाव मशीनों से हो और परिष्करण संयंत्र स्थापित किए जाएं । ऐसी स्थिति में खान से निकाला गया समस्त कोयला मशीनों के द्वारा छाना जाएगा अथवा तोड़कर समुचित आकार का बना लिया जाएगा और इसके बाद या तो साधारण जिग वाशरी अथवा उससे बेहतर सुसज्जित वाशरी में उसका मशीनों से परिष्कार किया जाएगा । ऐसा प्रबंध करने से कोयले के नमूनों की अपने आप व्यवस्था हो जाएगी और नमूनों का शीघ्रता से विश्लेषण हो सकेगा । यदि यंत्रीकरण और स्वचालन का बहुत अच्छा प्रबंध हो जाए तो कोयले के ससाधन का स्तर भी ऐसा हो जाएगा कि एकरूप किस्म और आकार के कोयले का उत्पादन होने लगेगा ।

2. किन्तु, ऐसे देश में इस उद्देश्य को प्राप्त करना स्पष्ट ही दूर की बात है जहां अब तक अकोककर कोयले की धुलाई नहीं की जाती एवं कोयले के मशीनी रख रखाव के संयंत्र बहुत ही कम है । किस्म को अच्छा बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक मशीनीकरण के लिए अपेक्षित उपकरण लगाने पर बहुत अधिक खर्च आएगा और ऐसी वांछित स्थिति आने में कई वर्ष लग जाएंगे । इस दिशा में प्रगति ऐसे परिष्करण की लागत और यह लागत देने के लिए उपभोक्ता की रजामंदी पर भी निर्भर करेगी । जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक कोयला उत्पादक

कंपनियों द्वारा भेजे जाने वाले कोयले की किस्म की रक्षा जिन बातों पर अधिकांशतः निर्भर रहेगी वे हैं मानवीय प्रयास, कोयला उत्पादक कंपनियों में किस्म अच्छी रखने के लिए सजगता तथा हाथ से किए जाने वाले परिष्करण पर सख्ती से निगरानी रखना। हमने इस रिपोर्ट में कोयला उत्पादन के विद्यमान परिमापों तथा रख रखाव प्रबंध के अन्तर्गत कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए आवश्यक विविध उपायों पर चर्चा की है। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :—

(1) कोयला कम्पनियां निकाले गए कोयले के ग्रेड के संशोधन की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें और लदान के नमूनों के आधार पर ग्रेडों की सही घोषणा करें। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने उपयोगी ताप मूल्य के निर्धारण के लिए एक नया फार्मूला निकाला है और इस फार्मूले को सरकार जब स्वीकार करले तो कोयले के संशोधित ग्रेडों की घोषणा इसी फार्मूले के आधार पर की जानी चाहिए।

(2) लदान के ग्रेड की निरन्तर जांच की जानी चाहिए ताकि जहां कहीं आवश्यक हो वहां वर्ष के आरम्भ में ग्रेड का पुनः निर्धारण किया जा सके।

(3) ग्रेड की घोषणा करने के उद्देश्य से लदान के नमूने छांटते समय, पथरीले कोयले की जितनी छटाई की गई हो उसका हिसाब कोयले की लदान करते समय दैनिक आधार पर रखा जाए।

(4) पथरीले कोयले की छंटाई और उसके निपटान का हिसाब किताब सख्ती से रखवाया जाए। जिन कोयला खानों में रख रखाव की मशीनी व्यवस्था है, उन्हें धीरे चलने वाली छंटाई बैल्टें देनी चाहिए।

(5) कोयला कम्पनियां ग्रेडों के निर्धारण में अत्यधिक विश्वसनीयता निभाने का प्रयास करें ताकि उपभोक्ता संयुक्त रूप से नमूना लेने की आवश्यकता ही न महसूस करें।

(6) प्रत्येक कम्पनी तथा प्रत्येक कोयला खान के लिए मानक लागत निर्धारण की प्रणाली तैयार की जाए ताकि उसके आधार पर प्रबंध मण्डल के कार्य निष्पादन की जांच की जा सके और फलस्वरूप कोयला सीमों के ग्रेड कम करने में विरोध का सामना न करना पड़े।

(7) प्रत्येक कोयला कम्पनी के पास पर्याप्त संख्या में ऐसा पर्यवेक्षक स्टाफ होना चाहिए जिसका एकमात्र काम लदान स्थलों पर पथरीले कोयले की छंटाई और निपटान की कड़ी निगरानी हो। यह किस्म नियंत्रक संगठन, उत्पादन विंग से स्वतंत्र रहकर, और वरीयतः सीधे प्रबंध निदेशक के नियंत्रण में, काम करे।

(8) कोयला खान प्रबंधक को, उसकी कोयला खान से भेजे गए कोयले की किस्म के बारे में पता लगे तथ्य, निरंतर बताए जाए।

(9) कोयला कम्पनियां अपने उत्पादन को इस प्रकार विनियमित करें कि उत्पादन पूरे वर्ष समुचित मात्रा में हो क्योंकि कोयले की किस्म उस समय सबसे ज्यादा गिरने लगती है जब लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्पादन बेतहाशा बढ़ाया जाता है।

(10) प्रत्येक खान प्रबंधक के "वार्षिक कार्य-मूल्यांकन" में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए कि उसने किस्म सुधार के लिए क्या कार्य किया और पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता के निर्धारण में इस बात को काफी महत्व दिया जाए।

(11) कोककर कोयले में राख की कमी करने, और ग्रेड की तकनीकी सीमाओं में ही अकोककर कोयले के उपादेय ऊष्मा मूल्य में सुधार के लिए बोनस और सजा की प्रणाली लागू की जाए। यह बात पथरीले माल की छंटाई पर अधिक खर्च करने के लिए उत्पादक को अतिरिक्त प्रोत्साहन का काम करेगी।

(12) कोयले का नमूना लेने का तरीका निकालने के लिए उत्पादक और उपभोक्ता के प्रतिनिधियों का "कार्यकारी दल" गठित किया जाए और वह तरीका भारतीय मानक संस्थान के तरीके जैसा विस्तृत तो न हो किन्तु उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले की कीमत निर्धारित करने के लिए यथासम्भव सही और काम लायक आधार मुहैया करे।

(13) संयुक्त रूप से नमूना लेने के लिए एक अलग स्वायत्तशासी संगठन स्थापित किया जा सकता है। यह संगठन सरकारी क्षेत्र के उन उपभोक्ताओं से कुछ फीस लेकर उनके लिए संयुक्त नमूने लेने का काम कर सकता है जो इस सुविधा का उपयोग करना चाहें। गैर सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ता, सरकारी विश्लेषकों की एक या अधिक फर्मों को संयुक्त नमूने लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती हैं अथवा विकल्प रूप में वे उक्त स्वायत्त संगठन की सेवाएं ले सकते हैं। इस प्रकार के संगठनों के स्थापित होने पर, संयुक्त रूप से नमूने लेने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान लदान स्थल होगा। लदान स्थान और गंतव्य स्थान पर इस समय संयुक्त नमूना लेने के जो प्रबंध हैं यथावत इस्पात संयंत्रों के मामले में वे चलते रह सकते हैं।

(14) आगे चलकर यह आवश्यक होगा कि अधिकांश अकोककर कोयले की छनाई और परिष्करण के लिए मशीनी सुविधाएं दी जाएं।

(15) कोककर कोयले की वाशरियों के मामले में रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों से कोयले की वास्तविक सप्लाई कोयला नियंत्रक द्वारा किए गए आवंटन के अनुरूप रहे। वाशरियों पर्याप्त मात्रा में भण्डारण क्षमता तथा मिश्रण सुविधाएं जुटाए ताकि वे प्रत्येक कोयला खान से पूर्व निर्धारित अनुपात में कोयला ले सकें और उसका मिश्रण कर सकें जिससे धुलाई के लिए जाने वाले कच्चे कोयले की भाप आदि में एकरूपता रखी जा सके।

(16) वाशरियों को चाहिए कि वे विश्लेषण की ऐसी प्रणाली विकसित करें जो तत्काल परिणाम दे सकें ताकि कोयले के प्रसाधन पर समुचित नियंत्रण की दृष्टि से, धुलाई में प्रयुक्त कच्चे कोयले की किस्म में समय समय पर पड़ने वाले अंतर को ठीक करने के लिए, धुलाई कार्य का समंजन हो सके।

(17) सभी वाशरियों में नमूना लेने की स्वचालित व्यवस्था स्थापित की जाए अथवा जहां वह पहले से हैं वहां उसे काम लायक रखा जाए।

(18) कोककर कोयले की धुलाई की आर्थिक प्रणाली का इस्पात कारखानों के कार्यचालन को सामने रखते हुए, सम्पूर्ण अध्ययन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० तथा केन्द्रीय खान आयोजन व डिजाइन संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। यह काम नवीनतम प्रौद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर किया जाए ताकि इस्पात संयंत्रों के लिए भारतीय कोककर के इष्टतम राख मानक निर्धारित किए जा सकें।

(19) कोयला कम्पनियां 50 एम एम से 200 एम एम तक के आकार वाली स्टीम कोयला सप्लाई करने का प्रयास करें किन्तु इस सिफारिश का समुचित कार्यान्वियन तभी संभव हो सकेगा जब बिजलीघरों की मांग बढ़े और स्कीम तथा स्लैक के बीच का वर्तमान असन्तुलन ठीक हो जाए। उस समय सारी बातों पर विचार करना होगा और जिन बातों को ध्यान में रखना होगा वे हैं इन विशिष्ट आकारों के अनुसार कोयले के उत्पादन की उच्चतर लागत, और स्टीम कोयले के अकेले सबसे बड़े उपभोक्ता की हैसियत से रेलों के कार्य संचालन के आर्थिक मुद्दे।

आर० पी० खोसला, संयुक्त सचिव

PRESIDENTS SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1977

No. 30-Pres./78.—The President is pleased to approve the award of "Sena Medal"/Army Medal" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Major KARTAR SINGH VAID (IC 18831) AOC.

On January 23, 1975 at night, a Defence Security Corps sepoy, while on guard duty at the Ammunition Depot, Bharatpur, deserted his post along with his rifle and ammunition. Major Kartar Singh Vaid, the Administrative Officer of the Depot, immediately rushed search parties in all direction and he himself proceeded to the Railway Station with some guards. He ordered his men to surround the Railway station and proceeded to the railway platform to look for the deserter. He noticed the deserter with his gun at the platform. Unmindful of the grave risk, he, single-handedly charged at the deserter, overpowered him and relieved him of his loaded weapon.

In this action, Major Kartar Singh Vaid displayed courage, initiative and devotion to duty of a high order.

2. Major LEKH RAJ (IC 13310), Punjab.

Major Lekh Raj has beeh commanding a Company of an Infantry battalion since September 1974. The ingenuous planning and determination of Major Lekh Raj led to the apprehension of four hostiles. This resulted in loss of contact for the underground hostiles with the village which had been used by them in the past as a resort for sustenance and safe movement.

Major Lekh Raj thus displayed courage, leadership and devotion to duty of a high order.

3. Major SURINDER SURJIT SINGH (IC 143?? Gorkha Rifles.

During January 1976, Gulmarg experienced heavy snowfall and 15 lives were lost due to avalanches. One company of an Infantry battalion and one platoon of the Border Security Force were stranded at various out-posts in the Apharwat area near Khelanmarg in Jammu and Kashmir. The route for rescue lay through dangerous icy steep slopes which were frequently hit by avalanches. The lives of these stranded persons were at stake as they were left with rations enough to last for 48 hours only.

Major Surinder Surjit Singh was charged with the responsibility of rescuing the stranded personnel. He selected the shortest route to save time. Which involve a steep climb through a dangerous area. The rescue party set out at 0?? hours on 20th January when the weather had deteriorated further. In utter disregard to his own safety he personally fixed a number of ropes for rescuing the untrained troops over the dangerous route. Contact with the Border Security Force platoon was established the same day and with the company of the Infantry battalion on the morning of January 21, 1976. The party successfully rescued all the stranded personnel by 1600 hours on January 21, 1976.

In this operation, Major Surinder Surjit Singh displayed courage, leadership and devotion to duty of a high order.

4. Major SURESH MENON (IC 16364) JAK Rifles

Major Suresh Menon while commanding a Company of an Infantry battalion in Mizoram during January to October 1975, was instrumental in capturing a number of hostiles. The insurgency had touched a new high when the hostiles assassinated three senior Police officers in Aizawl on January 13, 1975, in cold blood. It was the capture of a Sergeant, a notorious accomplice in this crime, by the patrol led by Major Suresh Menon, which unravelled the mystery of the ghastly murders and subsequently led to the capture of other assassins.

Major Suresh Menon thus displayed leadership, courage and devotion to duty of a high order.

5. Captain AMRIT LAL SANDHAL (SS 23884) Engineers.

The river Gandak in Bihar which rose to alarming proportions during the last week of July 1975, overflowed its banks on August 1, 1975 and breached the protective embankments at several places in Muzaffarpur District. Flood waters inundated vast areas submerging Mochaha, Musehri and Gaighat blocks. Captain Amrit Lal Sandhal immediately pressed into service all five boats at his disposal. He led rescue operations personally in these three blocks and succeeded in evacuating/rescuing a large number of persons.

During one of his rescue missions, an old woman was seen perched on a floating thatched hut with no hope of survival Captain Amrit Lal Sandhal spotted this old woman. He skilfully manoeuvered his boat, trapped the floating hut by casting a rope around it, pulled it out and saved the woman. It was a daring act in the face of overwhelming natural hazards which won him wide acclaim both from the Press and the civil administration.

In that operation, Captain Amrit Lal Sandhal displayed courage, determination and devotion to duty of a high order.

6. Captain RATNA PRAKASH JAISWAL (SS 26698) Engineers

Captain Ratna Prakash Jaiswal was the commander of flood relief detachment at Samastipur. On August 1, 1975, the flooded Buri Gandak breached the protective embankments at several places in Samastipur, submerging many villages in Kalyanpur block. Realising the gravity of the situation, he personally led rescue missions for six days at a stretch. On August 7, 1975, Ilmasnagar in Warisnagar block was flooded due to a breach in the flood bank near Masina Farm. He carried out several rescue and relief missions over a period of fifteen days and saved hundreds of human lives. Again on August 23, 1975, fresh floods caused untold havoc in Mohiuddin Nagar, Patori and Dalsing Sarai blocks. Captain Jaiswal immediately rushed his detachment and rendered relief and rescue missions to the marooned villagers and saved thousands of lives.

In these operations, Captain Ratna Prakash Jaiswal displayed courage, leadership and devotion to duty of a high order.

7. Captain KULWANT SINGH GREWAL (SS 24104) Maratha Light Infantry.

Captain Kulwant Singh Grewal of an Infantry battalion was deployed in Mizoram, With great ability, he collected intelligence reports, organised and personally led a number of counter-insurgency operations which resulted in the capture of underground hostiles and the recovery of a large quantity of arms and ammunition. He personally captured, in the face of grave risk to his life, five armed underground hostiles and recovered five weapons including one 2-inch Mortar, one Light Machine Gun and a large quantity of ammunition and high explosive bombs from arms caches deep in the jungles.

Captain Kulwant Singh Grewal thus displayed great courage, leadership and devotion to duty of a high order.

8. JC 61352 Subedar SANGKHUMA LUSHAI Assam Rifles.

Subedar Sangkhuma Lushai who has been serving with a battalion of Assam Rifles, has rendered commendable service on various occasions, which have brought laurels to his unit. Three high police officials, were shot dead on January 13, 1975, at Aizawl. Immediate action was taken to screen and search all adjoining villages. The skillful and determined handling of the situation by Sub. Sangkhuma Lushai led to the arrest of hostiles responsible for the crime. It also resulted in the recovery of an appreciable number of arms and ammunition.

Subedar Sangkhuma Lushai has thus displayed courage, determination and devotion to duty of a high order.

9. 9920037 Company Havildar Major CHHERING NURBU Ladakh Scouts.

Company Havildar Major Chhering Nurbu was a member of the rescue party detailed to evacuate a Company of an Infantry battalion and a platoon of the Border Security Force stranded at their outposts with limited rations due to heavy

snow and avalanches in Khelanmarg, Jammu and Kashmir in January 1976. Company Havildar Major Chhering Nurbu volunteered to set out the route. It was treacherous terrain and the route selected was extremely difficult. It was only the zeal, grit and determination and mountaineering experience of Company Havildar Major Chhering Nurbu which was instrumental in locating a route through soft snow and steep rocks. While on the move, one member of his rope lost his footing and fell down the steep hill. Company Havildar Major Chhering Nurbu managed to arrest his fall with the safety rope, made a fixed anchor and went down and saved his life.

In this action, Company Havildar Major Chhering Nurbu displayed great courage, determination and devotion to duty of a high order.

10. 3349169 Havildar SUCHA SINGH Sikh.

Havildar Sucha Singh was a member of the leading rope of the rescue party detailed to evacuate a Company of Infantry battalion and a platoon of Border Security Force in Khelanmarg, Jammu and Kashmir, stranded in their out-posts due to heavy snow and avalanches in January 1976. At about 1400 hours on January 20, three members of the rope were caught in an avalanche. Havildar Sucha Singh who was the first to react, shouted a warning to other and simultaneously anchored himself to a jutting rock. Timely action by Havildar Sucha Singh prevented the three members from being swept away and possibly being killed in the avalache. Once the fall of those three persons was arrested, Havildar Sucha Singh anchored his own safety rope to a rock, tied himself with another rope and went down to help his comrades in distress and brought them up to safety.

In this action, Havildar Sucha Singh displayed courage, promptitude and devotion to duty of a high order.

11. 3955835 Havildar Mohinder Singh Dogra

Havildar Mohinder Singh was one of the members of the party detailed to rescue a Company of an Infantry Battalion and a Platoon of the Border Security Force stranded in Khelanmarg in Jammu and Kashmir due to heavy snow and avalanches. After a tough climb, the rescue party established contact with the Border Security Force platoon at 1600 hours on January 20, 1976. Havildar Mohinder Singh took upon himself the job of evacuating the untrained Border Security Force personnel and bringing them to safety. As none of the Border Security Force personnel were suitably trained, Havildar Mohinder Singh established himself at the most dangerous portion of the knife-edged ridge at an over-hanging ledge. He tied each individual turn by turn with a rope and controlled their descent to safety. One individual lost his footing. With presence of mind and quick reaction, Havildar Mohinder Singh arrested his fall. He then anchored the top and inched his way to the Border Security Force member whose life was in danger and dragged him to safety, by risking his own life. This operation took three long hours to rescue 36 Border Security Force personnel. The next day again Havildar Mohinder Singh took an equally effective part in rescuing the Company of an Infantry Battalion.

Havildar Mohinder Singh thus displayed great courage, determination and devotion to duty of a high order.

12. 4438786 Lance Havildar GURNAM SINGH Sikh Light Infantry.

On the night of September 23/24, 1975, at about 2220 hours, an Indian Air Force aircraft crashed into the mechanical transport area of a Battalion of Sikh Light Infantry demolished a part of the shed and then catapulated into the mechanical transport park, setting on fire vehicles, radar and other equipment, parked in the area, Lance Havildar Gurnam Singh of the Battalion who was the guard Commander in the machanical transport park at that time, immediately realised that the fire was spreading at a rapid pace in the area where approximately fifty vehicles were parked and that it would cause extensive damage to the entire fleet of vehicles, radar and equipment of the adjoining unit, an Air Defence Regiment and the petrol dump nearby. He immediately set about retrieving vehicles from the area of fire with the assistance of available personnel. He himself also drove vehicle after vehicle, through the blazing fire, to a safer area. Injured by the flying debris of the crashed and burning aircraft, but unmindful of the grave personal risk, he continued retrieving the vehicles from the fire with the help of his men. Ultimately, he was able to move the entire fleet of vehicles to safety and saved Government property and the petrol dump located in that area.

Lance Havildar Gurnam Singh thus displayed leadership, courage initiative and devotion to duty of a high order.

13. 4151096 Naik Keshav Datt Kumaon

On October 3, 1974, Naik Keshav Datt was commanding a section of an infantry battalion. The platoon was assigned the task of intercepting a column of underground hostiles. At about 1015 hours on October 12, 1974, as the patrol was returning to its post after completing the assignment, firing was heard from the area nearby. Naik Keshav Datt immediately rushed his section to the scene of firing, where a gang of approximately 80 to 100 hostiles had been engaged by another patrol led by the village guard commander. He immediately organised extensive combing of the area. The search resulted in the capture of valuable documents, equipment, clothing and rations, Naik Keshav Datt and his men relentlessly pursued the fleeing hostiles for the next three days and nights over extremely difficult terrain.

Again while on a patrol duty on October 21, 1974, Naik Keshav Datt picked up the trail of a gang of hostiles and pursued them doggedly over an extremely tortuous terrain through rain and thick mist. At many places he and his men had to crawl up steep gradients. After successfully negotiating a steep slope of a cliff, the party suddenly came face to face with hostiles resting in the middle of a thick jungle. As the hostiles had also spotted them, Naik Keshav Datt had no time to organise his section. Unmindful of the grave risk, he charged the hostiles who were taken off guard and ran helter-skelter. Subsequent apprehension and interrogations of the hostiles confirmed that this was the last time the gang had moved as an organised body. As a result of this encounter and having been badly mauled, the gang disintegrated into small groups and their plan of entering Burma enroute to China was thwarted.

Throughout the operation, Naik Keshav Datt displayed indomitable courage, determination and devotion to duty of a high order.

14. 1427444 NAIK GIAN CHAND ENGINEERS

Due to heavy rains during July 1975, the rivers in Bihar were in spate. Flood water caused breaches in the flood banks and the entire Muzaffarpur District was faced with risk of inundation. The State Government sought assistance from the Army. An Army Engineer Regiment was ordered to air-lift a flood-relief Task Force. Naik Gian Chand was the non Commissioned Officer-in-charge of the party deployed at Dholi, about 25 Kilometers east of Muzaffarpur town. On the afternoon of August 7, 1975, when along with another non-commissioned officer he was preparing his boat for transportation of food-grains, he heard an alarm raised by some people standing on the railway line nearby. A country boat carrying eleven persons had capsized about 300 yards away and the people were shouting for help. Unmindful of his personal safety, Naik Gian Chand and his colleague set off in the boat braving the current and reached the capsized boat and managed to rescue nine persons.

In this action, Naik Gian Chand displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

15. 13654064 NAIK GORDHAN GUARDS

Naik Gordhan was a member of the patrol party which was assigned the task of ascertaining the accessibility and snow conditions across a pass in Ladakh. The patrol marched on for ten hours in deep snow and after several attempts, was able to cross the pass. At approximately 2030 hours, the patrol was suddenly engulfed in an avalanche of severe intensity burying all the members and their equipment in eight to ten feet of snow. Naik Gordhan, who had been thrown into a nullah, despite the shock and the injuries sustained in the accident, took stock of the situation and shouted to other members of the patrol but there was no reply. Negotiating deep snow in complete darkness and in utter disregard to his personal safety, he broke the trail to the site and extricated the patrol leader and the Junior Commissioned Officer from the snow. He then searched the area in the vicinity and successfully extricated, all members, except one, and the equipment of the patrol.

While the other members had hardly recovered from a state of shock, Naik Gorunan further exhorted each one of them to join in to the search of the missing comrade. The search continued for hours in the deep snow but in vain. Naik Gordhan, who had been on the move for about twenty-four hours without rest or food, managed to reach Zingral post, alongwith another other rank, by mid day on April 7, 1976, and informed the post Commander about the accident. While other members of the patrol were evacuated to hospital, Naik Gordhan, continued to stay at Zingral and voluntarily participated in further search and rescue operations.

Timely action on the party of the non Commissioned Officer, under extremely adverse conditions and sub zero temperature, saved the lives of all but one member of the patrol, who could not unfortunately be located inspite of intensive search of the area.

Naik Gordhan thus displayed exemplary courage, initiative and devotion to duty of a high order.

16. 13720857 LANCE NAIK BABU RAM
JAK RIFLES

Lance Naik Babu Ram was the detachment commander of one of the medium machine guns at a forward post in Jammu and Kashmir. On May 7, 1976, during unprovoked firing from across the line of control, Lance Naik Babu Ram by the effective use of his automatic weapon, was able to silence a light machine gun. On May 8, 1976, again when intense fire was directed at his medium machine gun bunker, he continued to engage the on-coming fire effectively. In the course of this firing he was hit by a burst of fire. Despite his injury and profuse bleeding, he struck to his post and refused to be evacuated until he fell unconscious.

In this action Lance Naik Babu Ram displayed indomitable courage, determination and devotion to duty of a high order.

17. 1445219 LANCE NAIK GURDEV SINGH
Engineers

Due to heavy rains during July, 1975, the rivers in Bihar were in spate. The flood water caused breaches in the flood banks flooding considerable areas in Muzaffarpur District. The State Government sought assistance from the Army for the flood relief. An Army Engineer Regiment was ordered to airlift a flood relief Task Force. Lance Naik Gurdev Singh was a member of the party deployed at Dholi, about 25 kilo-metres east of Muzaffarpur town. On the afternoon of August 7, 1975, he, alongwith another Non Commissioner Officer, was preparing his boat for transportation of food grains, when they heard an alarm raised by some people standing on the railway line nearby. A country boat carrying eleven persons had capsized. Unmindful of his personal safety, Lance Naik Gurdev Singh and his colleague set off, steering the boat through a fast current. On reaching the spot, he jumped in to the water and with tremendous stamina and skill managed to save 6 person from drowing in addition to the 3 rescued by his colleague.

In this action, Lance Naik Gurdev Singh displayed courage, determination and devotion to duty of a high order.

18. 13726190 LANCE NAIK RUP LAL
JAK RIFLES.

A battalion of Jammu & Kashmir Rifles was deployed along the Line of Control in Jammu and Kashmir. After 30th April, 1976, accurate light machine gun and medium machine gun fire was directed on to our posts from the other side of the Line. Being at a great distance, it was difficult to locate the firing point. A team of four men was deputed to locate and return the fire. Lance Naik Rup Lal was a member of this team and was equipped with a light machine gun. The team pushed forward under the available cover and deployed themselves at vantage points. The persons firing from across the Line of Control were effectively engaged by Lance Naik Rup Lal who forced them to withdraw from the forward bunkers in which they had entrenched themselves.

In this action, Lance Naik Rup Lal displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

19. 18435 RIFLEMAN KHARKA BAHADUR
GURUNG, ASSAM RIFLES

On April, 16, 1975, Rifleman Kharka Bahadur Gurung of Assam Rifles, skilfully apprehended a wanted underground hostile. After apprehending another important hostile on April 18, 1975, Rifleman Gurung carried out meaningful interrogation of this hostile on the spot, which resulted in the recovery of three weapons and a large quantity of ammunition.

Rifleman Kharka Bahadur Gurung thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

20. 18406 RIFLEMAN TEJ BAHADUR RANA
ASSAM RIFLES

On April 19, 1975, Rifleman Tej Bahadur Rana of Assam Rifles, led his patrol during a raid on a hostile camp. He apprehended an escaping hostile whose interrogation revealed valuable information of military value. On May 25, 1975, he apprehended another important hostile and recovered weapons, magazines and a large quantity of ammunition. Apart from this, he organised the search of the area on May 26, 1975, and succeeded in capturing arms, ammunition, documents and a good amount of currency.

Rifleman Tej Bahadur Rana thus displayed commendable presence of mind, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

21. 5840308 RIFLEMAN NIMA DORJEE SHERPA
GORKHA

The High Altitude Warfare School carried out a high altitude reconnassance which also included the scaling of Mount Sickle Moon. Rifleman Nima Dorjee Sherpa of a battalion of Gorkha Rifles was a member of the reconnaissance team. On September 21, 1975, he was caught in an avalanche while engaged in opening the route. Undeterred, he held on to his rope till the fury of the avalanche died. He moved over snow-covered dangerous rocky terrain and with sheer grit and determintion, worked his way through crevices and cornices and reached Mount Sickle Moon on October 5, 1975, alongwith Company Havildar Major Cheering Nurbu, and planted the National Flag and Army and High Altitude Warfare School flags on one of the highest virgin peaks.

Rifleman Nima Dorjee Sherpa thus displayed conspicuous courage, initiative, determination and devotion to duty of a high order.

22. 14209465 SIGNALMAN DILIP RAMCHANDRA
SONAR, SIGNALS

On August 31, 1976, at about 1440 hours a person was seen moving about in suspicious circumstances inside Signals Regiment area at Jaipur and was taken by Lance Naik Jagbeer Singh to the Regimental Headquarters. Signalman Dilip Ramchandra Sonar arrived on the scene when the suspect, who was being interrogated, asked for permission to use the bath room. Lance Naik Jagbeer Singh and Signalman Sonar kept watch and remained vigilant and alert. They heard some metallic sounds coming from inside the bath room. A sweeper was immediately summoned who recovered nine rounds of 9 mm ammunition from the latrine. Realizing that he had been detected the suspect tried to draw a 9 mm pistol tucked inside his trouser waist band and attempted to escape. Signalman Sonar, who was standing behind him immediately caught him by the waist and with the help of a few persons, disarmed the suspect. The pistol was loaded and had seven rounds in the magazine. The suspect was later identified by the police as a notorious dacoit wanted in a number of murders/dacoities.

In this action, Signalman Dilip Ramchandra Sonar displayed great courage, presence of mind and devotion to duty of a high orders.

K. C. MADAPPA,
Secretary to the President.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 23rd May 1978

ORDER

Subject: Grant of Petroleum Exploration Licence for Mahanadi (off-shore) area measuring 12,000 sq. kms.

No. 0/13011/1/76-Prod. In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Oil India Limited, Duliajan (hereinafter referred to as O.I.L.) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 1-4-1978 in Mahanadi (off-shore) area measuring 12,000 sq kms, the

particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditoins mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the O.I.L. should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged;

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of Natural Gas, at such, rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The O.I.L. shall, within the first 30 days of every month furnish to the Central Government, a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The O.I.L. shall deposit a sum of Rs. 96,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The O.I.L. shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each sq. km. or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4 for the first year of the licence;
(ii) Rs. 20 for the second year of the licence;
(iii) Rs. 100 for the third year of the licence;
(iv) Rs. 200 for the fourth year of the licence; and
(v) Rs. 300 for the first and second years of renewal

(g) The O.I.L. shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The O.I.L. shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The O.I.L. shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oilfields (Regulations and Development) Act 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The O.I.L. shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE 'A'

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in Mahanadi off-shore area and lies between Latitudes 19° 03′00″ to 20°41′30″ and longitudes 85° 13′ 00″ to 87° 22′ 00″ and is delineated on the map by the line joining the corner points A,B,C and D and measures 12,000 Sq. Kms. in area.

2. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distances in between them are as follows :—

	Bearing						Distance in Kms.
	Lat.			Long.			
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.	
Point A is at	19	21	00	85	03	30	
Point B is at	20	41	30	87	02	30	Point A to B = 254·91
Point C is at	20	05	00	87	22	00	Point B to C = 75·66
Point D is at	19	03	00	85	13	00	Point C to D = 252·37
Point A is at	19	21	00	85	03	30	Point D to A = 37·57

3. Approximate distances of the off-shore Points C and D to Puri are as follows :

(*a*) Point C . . . . 163 Km.
(*b*) Point D . . . . 106 Km.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and Natural gas produced and value thereof.
Petroleum Exploration Licence for Mahanadi (off shore) area measuring 12,000 sq. Kms.
Area

Month and Year

A CRUDE OIL

Total No. of Kilolitres Obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

B Casing head condensate

Total Number of Kilolitres obtained.	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of Kilolitres obtained less colums 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained.	Number of Cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of Cubic metres used for purposes of Petroleum approved by the Central Government.	Number of Cubic metres obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affairm that the information this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

.....
(Signature)

The 24th May 1978

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence for Deep *Continental Shelf Covering* 950.83 *Sq. Kms.*

No. 12012/15/76-L&L/Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to ONGC, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum, Exploration Licence to prospect for Petroleum for two years from 1-6-1976 (offshore) area measuring 950.83 sq kms, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged;

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of Natural Gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

(iii) The royaltv shall be paid to the pay & Accounts Officers Deptt. of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each sq. kilomater or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4 for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20 for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100 for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200 for the fourth year of the licence; and

(v) Rs. 300 for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the heazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oilfields (Regulations and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Patroleum and Natural Gas Rules, 1959.

SCHEDULE 'A'

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in Deep Continental Shelf (Off-shore) area and lies between latitud 18° 26′ 57·6″ South to 18° 49′ 22·8″ North and longitudes 70° 51′ 37·8″ West to 71° 16′ 46·8″ East and is delinated on the map b the line joining the corner points A.B.C. and D and measures 950·83 sq. kms. in area.

The latitude and ongitudes on which the points covering the area fall and the distances in between them are follows :

Bearing		Distance in Kms.
Point A.	Lat. 18° 43′ 54·6″ Long 70° 51′ 37·8″	Point D to A is 30 Kms.
Point B.	Lat. 18° 26′ 57·6″ Long 71° 6′ 13·8″	Point A to B is 40·63 Kms.
Point C.	Lat. 18° 30′ 44·59″ Long 71° 16′ 46·8″	Point B to C is 19·81 Kms.
Point D.	Lat 18° 49′ 22·8″ Long. 71° 7′ 47·4″	Point C to D is 38·13 Kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.
Petroleum Exploration Licence for Deep Continued Shelf
Area measuring 950·83 sq. Kms.
Month and Year

A Crude Oil

Total No. of Kilolitres obtained.	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

B Casing head condensate

Total number of Kilolitres obtained.	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural, reservoir.	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of Kilolitres obtainded less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained.	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploraton approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less Columns 2 and 3	Ramarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

.....
(Signature)

By order and in the name of the President of India

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 25th May 1978

No. F. 4-4/77-F.II.—In pursuance of Article 67 (3) of the Articles of Association of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Ltd., the President is pleased to appoint Smt. Uma Pillai, Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs as part-time Government Director on the Board of Directors of Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation *vice* Shri R. L. Pardeep.

V. KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 24th May 1978

RESOLUTION

No. 23021/67/77-CDT.—The Government of India in this Ministry's Resolution No. 54012/3/76-CDT dated the 6th April, 1976, set up a Committee under the Chairmanship of Joint Secretary, Department of Coal, to examine comprehensively the problems connected with production and supply of coal of the required quality to the various consumers including Railways.

2. The report of the Committee was submitted to the Government on the 31st August, 1977. A summary of its conclusions and recommendations is set out in the Annexure.

3. Government have carefully examined the recommendations of the Committee and have accepted them.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANNEXURE

REPORT OF THE QUALITY COMMITTEE

Conclusions and Recommendations

In the ultimate analysis high standards of quality can be consistently maintained only with the installation of mechanical handling and beneficiation plants. In such a situation all run of mine coals would be mechanically screened or crushed to an appropriate size and thereafter subjected to mechanical beneficiation either through a simple jig washery or a more sophisticated washery. Such an arrangement would provide for an automatic sampling of coal and rapid analysis of the samples. A high degree of mechanisation and automation is achieved the processing of coal would reach a level of sophistication which would enable the output of a product of uniform quality and size.

2. However, the attainment of this objective is obviously far away in a country where so far no non-coking coal is subjected to washing and the number of coal handling plants are extremely few. The installation of the equipment required for attaining the level of mechanisation necessary for quality maintenance will involve a heavy investment and it will be many years before this state of affairs can be achieved. Progress in this direction will also depend upon the cost of such beneficiation and the willingness of the consumer to pay this cost. Till such time the maintenance of quality of coal despatched by the coal producing companies will depend very largely on human efforts, the degree of quality consciousness in the producing companies and the strictness of supervision on manual beneficiation. We have in this report discussed various measures necessary to improve coal quality within the existing parameters of coal production and handling arrangements. These may be summarised as follows :—

(i) Coal Companies should quickly complete the process of revision of grades of coal mined by them and make a correct declaration of the grade on the basis of loading samples. The declaration of the revised grades should be based on the new formula for determination of useful heat value evolved by the CFRI as soon as it is accepted by Govt.

(ii) The loading grade should be subjected to continuous check so that at the beginning of the year regradation where necessary may be done.

(iii) the extent of shale picking adopted while selecting the loading sample for purposes of declaration of grade should be maintained on a day to day basis while loading coal.

(iv) Proper accounting and disposal of shale that has been picked should be strictly enforced. Wherever there is mechanicl handling, collieries should be provided with slow moving picking belts.

(v) Coal companies should endeavour to achieve a high degree of reliability in the assignment of grades so that the consumers no longer feel the necessity for joint sampling.

(vi) The system of standard costing for each company and each colliery should be evolved against which the performance of the management can be judged in order to put an end to the resistence to downgradation of coal seams.

(vii) Every company should have adequate supervisory staff whose exclusive function should be close supervision of picking and disposal of sale at all loading points. This Quality Control Orgn. should function independently of the production wing preferably under the direct control of the Managing Director.

(viii) Constant feed-back should be provided to the Colliery Manager on the findings in respect of quality of coal despatched from his colliery.

(ix) Coal Companies should regulate their production in such a way that it is properly spaced out during the year as quality tends to suffer most as levels of production are sharply stepped upto attain targets.

(x) A specific mention in the Annual Assessment may be made of every Mine Manager about his performance in respect of quality and this aspect should be given greater weightage while determining his suitability for promotion.

(xi) A system of bonus and penalty for reduction of ash in coking coal and improvement in useful heat value of non coking coal within the grade should be adopted as an added incentive to the producer for incurring extra expenditure for shale picking.

(xii) A Working Group should be set up of representatives of producers and consumers to evolve a method of sampling of coal which without being as elaborate as the ISI method, would provide a reasonbly accurate and workable basis for determining the price to be paid fo coal despatched to consumers.

(xiii) A separate autonomous organisation may be set up to undertake joint sampling on payment of a fee for the different public sector consumers interested in availing of this facility. Private sector consumers may appoint one or more firms of public analysts to act as their representatives for the purpose of joint sampling or in the alternative avail of the services of the autonomous organisation referred to above. In the event of such organisation being set up, the most appropriate venue for joint sampling would be the loading point. What arrangements exist for joint sampling at the loading point and destination as in the case of steel plants, the existing arrangements may continue.

(xiv) In the long run it will be necessary to provide mechanical facilities for screening and beneficiation of the bulk of the non-coking coal.

(xv) In case of coking coal washeries, the Railways should ensure that the actual supply of coal from different sources should conform to the allocation made by the Coal Controller. Adequate storage capacity and blending facilities may be installed by washeries in order to enable them to draw coal from each colliery in a pre-determined proportion and blended to attain uniformity in the specifications of the raw coal-feed.

(xvi) Washeries should develop a system of analysis which gives immediate results so as to enable an adjustment of washing operations to deal with periodic fluctuations in raw coal feed quality for proper process control.

(xvii) Automatic sampling devices should be installed in all coal washeries or kept in working order where installed.

(xviii) A total study of the system economics of beneficiation of coking coal vis-a-vis operation of steel plants should be undertaken jointly by SAIL and CMPDL keeping in mind the latest technological development with a view to establishing optimum norms for steel plants of ash Indian coking coal.

(xix) The Coal Companies may endeavour to supply steam coal within the size range of 50 mm to 200 mm. However proper implementation of this recommendation will be possible only when, with the growth of demand from power houses, the present imbalance between steam and slack is rectified. At that time a total view will have to be taken, taking into account the higher costs that will be incurred in the production of coal to these specifications and the operational economies of the Railways as the largest single consumer of steam coal.

R. P. KHOSLA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978